न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 118/15 (वाद)

GCMS NO. : 2015/00433

अनवान

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी काशीराम यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।

............वादीया

बनाम्

1. श्री रतनलाल पिता शंकरलाल यादव निवासी चमारिया खेडा कालाखेत तहसील मावली।
2. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय मावली, तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादीया ।

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चमारिया खेडा पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली में वादी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है। जो राजस्व अभिलेख में मुझ वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा साथ संलग्न है जो वाद का अभिन्न अंग हैं। नजरी नक्शें में चिन्ह् ए, बी, सी, डी, ई, एफ वाली जमीन वादी की है जिसके दक्षिण में प्रतिवादी रतनलाल की जमीन है जिसे नजरी नक्शें में चिन्ह् ई, एफ, जी, एच से दर्शाया गया हैं। वादी की जमीन के पडौस इस प्रकार है। उत्तर में खेती की जमीन, दक्षिण में प्रतिवादी की जमीन, पूर्व में अन्य लोगों के खेत एवं पश्चिम में सनवाड नाथद्वारा रोड हैं। वादी की जमीन के दक्षिण में एवं नजरी नक्शें में चिन्ह् ए, बी, सी, डी के सटमा दक्षिण में सी, डी, ई, एफ वाली जमीन जो वादी की है जो करीब 7—8 फीट है पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर उतारू है तथा वह पक्का ईंट, सीमेन्ट, रेती से टेंक बनाने पर आमादा है, दिनांक [illegible]2015 को प्रतिवादी ने कारीगर को लाकर टेंक बनाने की [illegible] मना किया तो उस समय तो

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी व साथ आये कारीगर चले गये, लेकिन बाद में प्रतिवादी ने मौके पर आकर गाली गलोच की तथा धमकी दी कि तुम्हारे करना हो जो कर लेना जमीन तो लेके रहुंगा।

2. यह कि प्रतिवादी ने उसकी जमीन में पक्का मकान बिना आबादी की जमीन कराये कृषि भूमि में बनवाया है जिसमें भी करीबन 5–6 फीट जमीन वादी की ले ली, पक्का निर्माण करवा दिया। वादीया ने सीमा जानकारी भी कराई तो पटवारी व इंसपेक्टर ने मौके पर आकर नपती की तो 5–6 फीट प्रतिवादी का मकान मेरी जमीन में होना पाया, उस समय भी प्रतिवादी को कहा लेकिन प्रतिवादी ने रातों रात काम चलाया तथा मुझ अबला को मारने की धमकी दी। मेरे पति सरकारी नौकरी में होने से उस समय कार्यवाही नहीं कराई, लेकिन अब प्रतिवादी के होंसले बढ गये है तथा वह डंडे व दादागिरी के बल पर अब वादीयां की जमीन चिन्ह् सी, डी, ई, एफ पर नीवें खोद टेंक बनाने पर उतारू है जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाया जाना जरूरी है अन्यथा वह जमीन पर निर्माण कर कब्जा कर लेगा। इसलिए वाद कर स्थाई निषेधाज्ञा लेकर प्रतिवादी को पाबंद कराना आवश्यक हैं। मैं वादीया प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादी रतनलाल मुझ वादीयां की उक्त वर्णित जमीन में दक्षिण दिशा में सी, डी, ई, एफ पर अतिक्रमण नहीं करे, नीवें नहीं खोदे, टेंक नहीं बनावें, न अन्य से बनवावें तथा मैं वादीया अपनी जमीन जो प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर पक्का निर्माण कर मकान बना लिया है उस जमीन को जो 5–6 फीट है वापस लेने की अधिकारी हूं जो मुझे दिलाई जावें।

3. यह कि वाद कारण सर्व प्रथम जब प्रतिवादी दो वर्ष पूर्व वादीया की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया तथा मकान बना लिया एवं अभी दिनांक 10.05.2015 को वादीया की जमीन में जबरन टेंक बनाने की धमकी दी, कारीगर मजदूर को लाया तथा निर्माण करने पर उतारू है वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है। जमीन खातेदारी की हैं। वाद पत्र में वर्णित जमीन में दक्षिण की ओर चिन्ह् सी, डी, ई, एफ वाली जमीन पर प्रतिवादी जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है तथा जमीन को अपनी बताकर टेंक का निर्माण कराना चाहता हैं। यदि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वह वाद पत्र में वर्णित जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लेंगा, उससे वादी को भारी असुविधा होगी, मुकदमेंबाजी बढ़ेगी तथा उससे वादी को पूर्ण अपूरणीय क्षति होगी, उसका मुल्यांकन मुद्रा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना संभव नहीं होगा जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

4. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जो वादी की खातेदारी की है उसमें दक्षिण की तरफ वाली जमीन जो नजरी नक्शें में चिन्ह् सी, डी, ई, एफ वाली जमीन है उसमें प्रतिवादी प्रवेश नहीं करे, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, कब्जा नहीं करे, पत्थर नहीं डाले, टेंक नहीं बनवावें, यह कार्य वह स्वयं नहीं करें, न अन्य से करावें। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी को उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उसमें प्रतिवादी अथवा उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, न अन्य के मार्फत करावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादी वादी की उक्त जमीन पर कब्जा कर लेवें अथवा कब्जा पाया जावे तो हटाया जाकर वादी को पूर्ववत् कब्जा दिलाया जाकर वाद दायर की दिनांक की स्थिति को बहाल कराया जावें। प्रतिवादी ने मुझ वादी की जमीन करीब 5–6 फीट को उसकी ई, एफ, जी, एच में मिला लिया तथा पक्का निर्माण मकान बना लिया वह वापस मुझ वादीयां को दिलाई जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादीया स्वयं प्रेमदेवी पत्नी काशीराम, पीडब्ल्यू 2 श्री काशीराम के शपथ पत्र पेश किये। साक्ष्य वादीयां गवाह पीडब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा चमारिया खेडा की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 की खाता संख्या 52 प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2007 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति प्रदर्श 2ए, मौजा चमारिया खेडा का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 करवाए गए।

6. विद्वान अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चमारियाखेड़ा पटवार हल्का कुचौली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध में वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि की केवल मात्र वादीया रिर्कोडेड एकल खातेदार काश्तकार है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी खातेदार काश्तकार नही है। वादीया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी उसे वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मौके पर निर्माण करना चाहता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार वादीया है, ऐसे में प्रतिवादी को वादीया की भूमि में निर्माण कार्य करने एवं वादीया को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। न्यायालय यह भी मानना है कि वादीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार है एवं प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है, ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला वादीया के पक्ष में पाया जाता है। यदि प्रतिवादी, वादीया को बाहुबल से जबरन बेदखल कर देता है या वादीया की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य कर देता है तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी एवं काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वादीया के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादीया के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चमारियाखेड़ा पटवार हल्का कुचौली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि से वादीया को बेदखल न करें, वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punalia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीया की भूमि में प्रवेश नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी काशीराम यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....वादीया

बनाम्

1. श्री रतनलाल पिता शंकरलाल यादव निवासी चमारिया खेडा कालाखेत तहसील मावली।
2. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय मावली, तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 118/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00433

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चमारियाखेड़ा पटवार हल्का कुचौली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि से वादीया को बेदखल नही करें, वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीया की भूमि में प्रवेश नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested